न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जि...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्साजज

तारीख हुक्म		नम्बर व अहकाम जो की तामील हुए

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म – T.A.

मु.नं.– 84/24

तामील उपरान्त पर्याप्त समय के उपरान्त भी इनके द्वारा जवाब प्रा. पत्र T.A. पेश नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी सं. 07 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र T.A. दिनांक 20.01.26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

20-1-26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रा. पत्र T.A. पर विद्वान अभिभाषकों उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रा. पत्र पर उभय पक्ष विद्वान अभिभाषकों की बहस का मनन किया। प्रा. पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीका प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज (Reject) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल बाद के साथ नत्थी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
84/2024	05.12.2024	20.01.2026

बउनवान

1. कैलाश पुत्र श्रीयानाथ, निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा ।

..प्रार्थी/सायल

बनाम

1. कम्पूरी देवी पत्नी रामवतार मीना, निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
2. ज्ञानी देवी पत्नी किशन मीना, निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
3. कैलाश देवी पत्नी हरसी मीना, निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
4. मंजू देवी पत्नी स्व. कालूराम, निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
5. कुलदीप पुत्र स्व. कालूराम, नाबालिग जरिये मॉ मंजू देवी, निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
6. काजल पुत्री स्व. कालूराम, नाबालिग जरिये मॉ मंजू देवी, निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
7. जगदीश पुत्र श्रीयानाथ, निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
8. लल्लू पुत्र श्रीयानाथ, निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
9. उपपंजीयक बैजूपाडा, जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री लक्ष्मीनारायण मीना ।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 4, 6 – श्री शिवदत्त जैमिनी।
3. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 – श्री लीलाराम मीना।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की विवादित आराजीयात ग्राम निहालपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में खतौनी संख्या नई 41 खसरा सं. 1141, 1142 कुल किता 2 कुल रकबा 0.26 हैक्टे., भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 42 खसरा सं. 1124 रकबा 0.03 हैक्टे. एवं भूमि खेवट खतौनी सख्या नई 43 के खसरा सं. 1125 रकबा 1.97 हैक्टे. स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगा. 8 की सम्मलित कब्जे काश्त व सहखातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी का खाता सं. 41 में 1/6 हिस्सा, खाता संख्या 42 में 1/2 हिस्सा एवं खाता संख्या 43 में 73/197 वां हिस्सा है। विवादित आराजीयात का अभी तक विधिवत सरस नरस के अनुसार तकास्मा नहीं हुआ है, जिसको

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

मौके पर बांट रखा है तथा प्रार्थी अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमि काश्त कर मुफीद होता चला आ रहा है लेकिन भूमि का तकास्मा नहीं होने के कारण आये दिन पक्षकारान में कमती ज्यादा को लेकर व फसल बोते समय व काटते समय व लगान जमा कराते समय आपस में विवाद हो जाता है । विवादित आराजीयात से अप्रार्थी सं. 1 लगा. 8 अब प्रार्थी के हक हिस्से व अधिकारात की भूमि पर अपनी नाजायज जबरिया अतिक्रमण करते हुये खाम व पुख्ता निर्माण करके दीगर शख्स को रहन व बय करने पर आमादा है तथा कृषि भूमि को अकृषि तब्दील करने पर आमादा है तथा धमकी दे रहे है कि हम हर सूरत में प्रार्थी के हिस्से में आयी भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करके रहेंगे तथा कब्जा करके ऐस लोगो को बेचान करके रहेंगे जो कि लाठी के जोर पर प्रार्थी को बेदखल कर देंगे । तथा प्रार्थी को उसकी भूमि में काश्त नहीं करने देंगे। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 8 ने प्रार्थी के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा प्रार्थी से आये दिन झगडा फिसाद करते रहते है। दिनाक 20.06.2024 को अप्रार्थी सं. 1 लगा. 8 अपने साथ कई लोगों को लेकर आये तथा प्रार्थी के खेतों में होकर नाप करने लग गया। प्रार्थी ने कहा कि आपको नाप करनी है तो आपके खेतो में होकर करो मेरे खेतों में आप क्या कर रहे हो तो अप्रार्थी ने कहा कि अब हम प्रार्थी के खेत में जबरन कब्जा करने निर्माण करने की धमकी दी कि हम अब तेरे खेत में ही जबरन निर्माण करके रहेंगे तथा तुझे बेदखल करके रहेगें तथा काश्त नहीं करने देगे तो प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कहा कि पहले भूमि का आपसी सहमति के आधार पर तकास्मा करवालो। फिर आप अपने हिस्से की भूमि को बेचान कर देना तो अप्रार्थीगण तकास्मा करवाने से भी साफ इंकार हो गये यदि अप्रार्थीगण अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को नुकसान जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकेन चल पडेंगे जो बाय से बरबादी प्रार्थी होंगे। ऐसी सूरत में सिवाय प्रार्थना पत्र के और कोई चारा नजर नही आया इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया। प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी सं. 1 लगा. 8 स्वय या अपने एजेन्टो नौकरो घरवालो या अन्य मददगारान के उक्त विवादित आराजीयात का जब तक विधिवत तकास्मा होकर अलग अलग खाते कायम न हो जाये तब तक किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से, खाम व पुख्ता निर्माण करने से, प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा करने से, प्रार्थी को फसल बोते व काटते समय झगडा फिसाद करने से तथा प्रार्थी की भूमि में उगे हुये पेड पौधो को खोदने से काटने से, किसी दीगर सख्स को रहन बय करने से एवं अप्रार्थी सं. 9 विवादित आराजीयात की बाबत् अप्रार्थी के द्वारा पेश किये जाने वाले किसी भी रहननामा बयनामा आदि को बहैसितय पंजीयन अधिकारी पंजीयन करने से व बहैसियत भूमिधारी राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार तब्दीली करने से ताफैसला पाबंद रहें । विवादित आराजीयात व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें ।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद अप्रार्थी सं. 01 लगायत 03 एवं 07

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

लगायत 09 के द्वारा ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद किया गया। अप्रार्थी सं. 04 लगायत 06 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया कि विवादित आराजीयात में अप्रार्थी सं. 04 लगायत 06 के हिस्से की भूमि का हिस्सा सडक के पीछे तक किया जाता है तो स्वीकार है इसके साथ अी आराजीयात हिस्से तक रास्ता भी तय किया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन, अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत बमुकाबिले प्रार्थी, अप्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

3. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबंदी संवत 2074–77 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड सहखातेदार है। विवादित आराजीयात अविभाजित भूमि है जिसमें प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का समान हिस्सा होता है। प्रार्थना पत्र से संबद्व वाद पत्र के जरिये प्रार्थी/वादी द्वारा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है जिसका निर्धारण वादपत्र में साक्ष्य उपरांत गुणावगुण पर किया जा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

सकेगा। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। रिकॉर्डेड खातेदार (अप्रार्थीगण) के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी होने से उनके खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा खातेदारी अधिकारों के उपयोग में अप्रार्थीगण को बाधा होगी। इस कारण निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को असुविधा तथा अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति सिद्धांत की प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 20.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी • मण्डावर (दौसा) •

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)